

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 292] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 20, 1979/आषाढ़ 29, 1901

No. 292] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 20, 1979/ASADHA 29, 1901

इस भाग में निम्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग
संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आवृत्ति

नई दिल्ली, 20 जुलाई, 1979

का. आ. 418 (अ).—केंद्रीय सरकार, विकास परिषद् (प्रक्रिया) नियम, 1952 के नियम 4 के साथ पठित, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 6 द्वारा प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (2) में प्रकाशित, भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) की अधिसूचना सं. का. आ. 110 (अ.), तारीख 24 फरवरी, 1979 में निम्नलिखित संशोधन करती है :—

“पृष्ठ 195 पर, मंच सं. 1 के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा :—

- “1. श्री ए. एफ. कौटो, अपर सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उद्योग मंत्रालय, नई दिल्ली।”

[फा. सं. 13/54/77-टी. पी. सी]

आर. रामकृष्ण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 20th July, 1979

S.O. 413(E).—In exercise of the powers conferred by Section 6 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), read with rule 4 of the Development Councils (Procedural) Rules, 1952, the Central Government hereby makes the following amendment to the notification of the Government of India, Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S.O. 110(E), dated the 24th February, 1979, published in the Gazette, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) :—

“At page 197, for item No. 1, the following shall be substituted :—

- “1. Shri A. F. Couto, Additional Secretary, Department of Industrial Development, Ministry of Industry, New Delhi”.

[F. No. 13/54/77-TPC]

R. RAMAKRISHNA, Jt. Secy.